फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किस्तुरपुरी बनाम राजपुरी वगैरह

किस्म मुकदमा .....223..... मुकदमा नंबर.....11.....सन.....2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.02.2021	यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व वाद संख्या 29/2018 बउनवान किस्तुपरी बनाम राजपुरी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात सरहद मौजा खेड़ा पुरिया, तहसील बागोडा के वर्तमान खसरा नंबर 16/52 रकबा 0.80 हैक्टेर, खसरा नंबर 20 रकबा 3.12 हैक्टेर, खसरा नंबर 33 रकबा 3.75 हैक्टेर, खसरा नंबर 39/48 रकबा 0.58 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद धारा 53 आर.टी.एक्ट के प्रावधानो के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो अलग–अलग खातो का बंटवाडा करने हेतु अलग–अलग खातो का बंटवाडा करने हेतु अलग दावे प्रस्तुत करने थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त खाता संख्या 23 की खातेदारी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 की संयुक्त दर्ज है जिसमे एक ही प्रकार के संयुक्त खातेदारान के समक्ष संयुक्त आराजी होने से एक ही वाद विधि अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2018 बउनवान किस्तुपरी बनाम राजपुरी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 को अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात सरहद मौजा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खेडा पुरिया, तहसील बागोडा के वर्तमान खसरा नंबर 16/52 रकबा 0.80 हैक्टेर, खसरा नंबर 20 रकबा 3.12 हैक्टेर, खसरा नंबर 33 रकबा 3.75 हैक्टेर, खसरा नंबर 39/48 रकबा 0.58 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद धारा 73 आर.टी.एक्ट के प्रावधानो के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो अलग–अलग खातो का बंटवाडा करने हेतु अलग–अलग खातो का बंटवाडा करने हेतु अलग दावे प्रंस्तुत करने थे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद का बिना तनकीयात कायम किये, अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी के संबध में निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणवागुण पर निर्णय पारित नहीं किया है। एवं प्रकरण को केवल मात्र तकनीकी बिन्दु पर खारिज किया गया है। जिससे प्रकरण एडमिशन स्तर पर स्वीकार किया जाकर रिमांड किया जाता है तो इससे पक्षकारो का समय बर्बाद नहीं होगा। लिहाजा अपील अपीलांट एडमिशन स्तर पर स्वीकार की जाकर राजस्व वाद संख्या 29/2018 बउनवान किस्तुपरी बनाम राजपुरी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021 को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर प्रकरण में तनकीयात कायम किया जाकर पुन गुणवागुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली